



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166619-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 3176/2026

मनीष कुमार गुप्ता

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अश्वनी कुमार पटेल, सृजन मेहरोत्रा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

सुरक्षित

न्यायालय संख्या- 2

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

(माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर द्वारा पारित)

1- यह याचिका याची मनीष कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 24.10.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में, "बी.एन.एस.") की धारा 303(2) एवं 318(4) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 406 सन् 2024, थाना परतापुर, जनपद मेरठ में पंजीकृत हुआ है (संक्षेप में, "आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट")।

2- याची की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल मेहरोत्रा, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार पटेल द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शाही शेखर तिवारी को सुना।

3- आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 5 जोगिन्दर सिंह, उपनिरीक्षक पुलिस, जो थाना परतापुर, जनपद मेरठ में तैनात हैं, द्वारा दर्ज कराई गई है, जिन्हें आगे "सूचनाकर्ता" कहा जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 23.10.2024 को सूचनाकर्ता, जो थाना परतापुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे, उपनिरीक्षक अजय कुमार एवं धर्मेन्द्र सिंह तथा हेड कांस्टेबल सुखराज सिंह के साथ अपने निजी वाहन से पुलिस चौकी मोहिउद्दीनपुर के क्षेत्र में वांछित एवं इनामी अपराधियों की तलाश कर रहे थे। जब पुलिस दल ग्राम मेझा को पार करके सिवाल की ओर जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़ा और छोटू गेजहा की दुकान के पास पहुंचा, तो उन्हें एक गुप्त सूचनाकर्ता से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आगे श्री जी केमिकल्स के स्वामित्व वाले एक गोदाम में बड़े पैमाने पर नकली डीजल तेल का निर्माण करने के साथ-साथ उक्त वस्तु की बिक्री की जा रही है। यदि शीघ्र कार्रवाई की जाए तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता है।

5- सूचनाकर्ता का कहना है कि सूचनाकर्ता की सूचना पर विश्वास करते हुए, उच्चाधिकारियों को सूचना भेजने तथा एक-दूसरे की तलाशी लेने के पश्चात पुलिस दल सूचनाकर्ता द्वारा बताए गए गोदाम पर पहुंचा, जहां सूचनाकर्ता पुलिस दल को छोड़कर चला गया। पुलिस दल ने अपने वाहन छोटू गेजहा की दुकान पर खड़े किए और पैदल रासायनिक गोदाम की ओर आगे बढ़ा। जब वे गोदाम के द्वार पर पहुंचे, तो पुलिस दल ने देखा कि परिसर के अंदर एक कैंटर (ट्रक) खड़ा था। आरोप है कि वहां मौजूद व्यक्ति आपस में यह बातचीत कर रहे थे कि मिलावटी डीजल को शीघ्रता से कैंटर पर लाद दिया जाए। इन ऊंची आवाज में की गई स्वीकारोक्तियों को सुनकर पुलिस दल को विश्वास हो गया कि वहां मौजूद व्यक्ति नकली डीजल तेल बनाने और बड़े पैमाने पर उसकी बिक्री करने के अपराध में संलिप्त थे। सूचनाकर्ता का आरोप है कि पुलिस दल ने अचानक परिसर पर छापा मारा और शाम 5.25 बजे रासायनिक संयंत्र के परिसर के भीतर आठ व्यक्तियों को पकड़ लिया।

6- चूंकि यह मिलावटी डीजल तेल से संबंधित विषय था, इसलिए मेरठ के जिला पूर्ति अधिकारी को मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल सूचना दी गई। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपने नाम मनीष गुप्ता पुत्र राजन गुप्ता, आशीष गुप्ता पुत्र भुनेश गुप्ता, अवनीश गुप्ता पुत्र राजन गुप्ता, पंकज कुमार पुत्र अशोक कुमार, गजन पुत्र वासुदेव, प्रकाश पुत्र बालक, शिवम शर्मा पुत्र शिव कुमार शर्मा तथा बृज किशोर पुत्र मूलचन्द बताए। ए.आर.ओ. अपनी टीम के साथ पहुंचे और संयुक्त पूछताछ में उन व्यक्तियों को पकड़ लिया, जिन्होंने कथित रूप से बताया कि श्री जी केमिकल गोदाम मनीष गुप्ता (याची) के स्वामित्व में है और कम्पनी उसी के नाम पर पंजीकृत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। यह भी बताया गया कि ये व्यक्ति हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ चालकों की मिलीभगत से इस अपराध को इस प्रकार अंजाम देते हैं कि जब चालक तेल कम्पनी डिपो से पेट्रोल आदि लेकर निकलते हैं, तो वे उनके जी.पी.एस. में छेड़छाड़ करते हैं और अपने पेट्रोल टैंकों को कम्पनी के गोदाम तक ले जाते हैं। अपराधियों ने बताया कि वे चालकों की मिलीभगत से टैंकों से चोरी किया हुआ तेल खरीदते हैं और तेल कम्पनी के टैंकों से निकाले गए डीजल तेल की मात्रा को मल्टी-हाइड्रोकार्बन मिश्रण, थिनर एवं लुब्रिकेंट ऑयल से भरकर पूरा किया जाता है। खरीदे गए डीजल तेल को भूमिगत टैंकों में भरा जाता है, जहां उसे मल्टी-हाइड्रोकार्बन मिश्रण, थिनर एवं लुब्रिकेंट ऑयल के साथ मिला दिया जाता है और इस मिलावटी डीजल को भंडारित करके बाजार में बेचा जाता है। कुछ शुद्ध डीजल तेल अन्य डीलरों को भी बेचा जाता है, जो उसमें मिलावट करके आगे बेचते हैं। पकड़े गए व्यक्तियों ने बताया कि वहां 10 भूमिगत टैंक हैं, जिनमें 12,000 लीटर शुद्ध डीजल तथा 23,000 लीटर मिलावटी डीजल है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजीकरण संख्या यूपी-15-डीटी-1990 वाला एक टैंकर, जो परिसर में खड़ा था, मिलावटी डीजल तेल लेने के लिए वहां आया था। उक्त अपराध के संबंध में याची को पकड़ा गया।

7- हम यह देखते हैं कि याची सहित इस प्रकरण के सभी अभियुक्तों को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), मेरठ द्वारा दिनांक 29.10.2024 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान, हमने पाया कि विवेचना अधिकारी ने पूर्व में इस प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया था और जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कदम उठाया था, क्योंकि इसमें शामिल अपराधों में से एक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत था। बाद में, मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर, इसे मिलावट का प्रकरण पाया गया, जबकि इससे पूर्व मेरठ के जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा यह राय दी गई थी कि यह हाइड्रोकार्बन मिश्रण, थिनर या लुब्रिकेंट ऑयल मिलाकर डीजल तेल में मिलावट करने का प्रकरण नहीं है। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने विवेचना अधिकारी की रिपोर्ट में हस्तक्षेप किया और इसी कारण हमने उनसे अपनी राय स्पष्ट करने की अपेक्षा की, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अनेक व्यक्तिगत शपथपत्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट ने भी अपना शपथपत्र दाखिल किया है, जिसका हमने परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- हमें कहना होगा कि विशेष रूप से मेरठ के संयुक्त निदेशक, अभियोजन की राय में परिवर्तन, जिन्हें हमने इस प्रकरण में तलब किया और व्यक्तिगत रूप से सुना, ने इस संबंध में हमारा संदेह उत्पन्न किया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपनी विधिक अधिकारिता से परे जाकर विवेचना की दिशा बदलने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं। किंतु, प्रकरण पर अधिक निकटता से विचार करने पर, हम पाते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सही हों या गलत, उनके द्वारा कोई दुर्भावना नहीं की गई है।

9- परिस्थितियों की समग्रता में, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में गहन विवेचना की आवश्यकता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी याची को पूर्णतः दोषमुक्त नहीं करती है। अतः हमारी राय है कि यह ऐसा उपयुक्त प्रकरण नहीं है, जिसमें हमें चल रही विवेचना में हस्तक्षेप करना चाहिए और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करना चाहिए।

10- हम यह स्पष्ट करते हैं कि यहां हमने जो कुछ टिप्पणी की है, वह इस याचिका के निर्णय के उद्देश्य तक सीमित है, जिसमें आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। हमारी इन टिप्पणियों को आरोपों के समर्थन में या पुलिस के प्रकरण के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाएगा, जिसे विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर पुलिस को सिद्ध करना है। यदि आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है, तो न्यायालय अभियोजन को आपराधिक मानक के अनुसार आरोपों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ेगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

11- उपर्युक्त टिप्पणियों के अधीन, हमें संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता। रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

10 अगस्त, 2026

दीपक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।